न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 177/2019 **दायर दिनांकः 21/12/2019**

उनवान

1. इन्द्रा देवी पुत्री श्री रामप्रताप जाति बेरागी निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी. एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 12/03/2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादिया ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कुन्डी तह० अटरू जिला बारां में खाता संख्या 394 की ख0नं0 964, 1759, 1760, 1761, 1762, 1762/2235, 1783, 1784, 1785 कुल किता 9 कुल रकबा 7.51 है0 आराजी खातेदारान इन्द्रा देवी पुत्री रामप्रताप जाति बैरागी निवासी अटरू तहसील अटरू के खाते दर्त चली आ रही है। जमाबन्दी संवत 2067—2070 की नकल वाद पत्र के साथ में संलग्न है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में जमाबनदी संवत 2067—2070 के बाद 2071 से 2074 मे तेज बाई उर्फ इन्द्रा देवी के स्थान पर तेजबाई दर्ज कर दिया जबकी सही नाम इन्द्रा देवी था। वादीया का सही नाम इन्द्रा देवी है फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में वादीया का नाम इन्द्रा देवी ही दर्ज है राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम तेजबाई है। फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड दस्तावेजो मे वादीया का नाम इन्द्रा देवी दर्ज होने से वादीया को काफी परेशानी का सामना करना पडता है। बैंक आदि से ऋण प्राप्त नही कर सकता है। किसी की जमानत आदि देने में भी असमर्थ है। वादीया ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में तेजबाई के स्थान पर इन्द्रा देवी उर्फ तेज बाई दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होने साफ मना कर दिया और माननीय न्यायालय में दावा पेश करने की हिदायत दी है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम तेजबाई

के स्थान पर इन्द्रा देवी दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम सही दर्ज नहीं किया गया तो वादिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पडेगा। अस्तु वादिया वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम तेजबाई के स्थान पर सही नाम इन्द्रा दर्ज किया जावे। वाद कारण दिनांक 26.11.2019 को उक्त आराजी में वादिया का नाम तेजबाई दर्ज होने एवं वादीया द्वारा प्रतिवादी से तेजबाई के स्थान पर तेजबाई उर्फ इन्द्रा देवी करने का निवेदन करने एवं उनके द्वारा साफमना करने पर अन्तिम वार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वाद ग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल कुन्डी तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वादिया वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावे किः–

(क) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम तेजबाई के स्थान पर सही नाम तेजबाई उर्फ इन्द्रा देवी दर्ज किया जावे विकल्प मे निवेदन है कि तेजबाई उर्फ इन्द्रा देवी दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान यिका जावे।

(ख) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया । साक्ष्यवादी पेश नहीं करने के कारण साक्ष्यवादी बन्द किये गये। अभिभाषक वादीया द्वारा साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक वादीया की एकतरफा बहस सुनी अभिभाषक वादीया द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम तेजबाई के स्थान पर सही नाम तेजबाई उर्फ इन्द्रा देवी दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2067–2070 ग्राम कुण्डी की खाता संख्या 394 की कुल किता 9 रकबा 7.51 है0 में सहखातेदार के रूप में वादिया का नाम तेजबाई पुत्री रामप्रताप दर्ज है। ग्राम कुण्डी के तत्कालीन खाता संख्या 394 संवत 2067–2070, बंटवारा नामान्तरण संख्या 1016 दिनांक 17/10/2013, मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि के आधार पर वादिया का सही नाम तेजबाई उर्फ इन्द्रा देवी पुत्री रामप्रताप जाति बैरागी है।

अतः न्यायहित में वादिया का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कुन्डी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 394 की ख0नं0 964, 1759, 1760, 1761, 1762, 1762/2235, 1783, 1784, 1785 कुल किता 9 कुल रकबा 7.51 है0 में सहखातेदार वादिया का नाम तेजबाई पुत्री रामप्रताप के स्थान पर इन्द्रा देवी उर्फ तेजबाई पुत्री रामप्रताप दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 177/2019

उनवान

1. इन्द्रा देवी पुत्री रामप्रताप जाति बैरागी निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी. एक्ट</u>

उपस्थिति :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी विवादित आराजी ग्राम कुन्डी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 394 की ख0नं0 964, 1759, 1760, 1761, 1762, 1762/2235, 1783, 1784, 1785 कुल किता 9 कुल रकबा 7.51 है0 में सहखातेदार वादिया का नाम तेजबाई पुत्री रामप्रताप के स्थान पर इन्द्रा देवी उर्फ तेजबाई पुत्री रामप्रताप दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.........................
..........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.03.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)